2020/00238

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री अमृतलाल पुत्र श्री कपूरचन्द जाति अग्रवाल निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी प्रबन्ध निदेशक सिरोही सहकारी को–ओपरेटिव बैंक सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 40 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
0.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 29.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पंचायत समिति शिवगंज की 24 पंचायतों में खरीफ फसल 2018 में हुए खराबे की प्रतिशत से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 29.11.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि पंचायत समिति शिवगंज की 24 पंचायतों में खरीफ फसल 2018 में हुए खराबे की प्रतिशत से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। उक्त सूचना प्रबन्ध निदेशक सिरोही सहकारी को–ओपरेटिव बैंक सिरोही से सम्बन्धित होने से जरिये पत्र क्रमांक 743 दिनांक 04.12.2019 द्वारा हंस्तान्तरित किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा संभागीय आयुक्त जोधपुर को निवेदन किया गया जो मूल ही अपीलांट को लौटा कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। चूंकि बैंक के प्रशासक अधोहस्ताक्षरकर्ता ही है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी प्रबन्ध निदेशक सिरोही सहकारी को–ओपरेटिव बैंक सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना [illegible] संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करे [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) **जिला कलक्टर, सिरोही**	286-87 13/8/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:48:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner